

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 647 of 2024

Pankaj Sharma

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.


.... Respondents

I N D E X

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Status Report/Affidavit on behalf of Respondent No. 2 Uttar Pradesh Pollution Control Board.	2-4
2	ANNEXURE R1/1: A copy of letters dated 13.06.2024 and 10.07.2024 (collectively)	5-6
3	ANNEXURE R1/2: The copy of the inspection report dated 25.07.2024	7

RESPONDENT (UPPCB)

THROUGH



AMIT SHUKLA

Advocate

D-54, SECTOR 48, NOIDA – 201 303

MO. NOS. 9999933220, 9999333220

Email: amit.shukla@lexweb.in

Date : 12.09.2024

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 647 of 2024



Pankaj Sharma

.... Applicant

Versus


State of Uttar Pradesh & Ors.

.... Respondents

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Sanjeev Kumar Singh, S/o Shri Lal Sahab Singh, Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, C/o T.C 12-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010 do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and as such conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear the present Affidavit.



That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 30.05.2024 directed that *“the Respondent No. 2, Member Secretary, UPPCB will ascertain the correct factual status from the spot and submit a comprehensive report in respect of operation of Respondent No. 5 unit, compliance of requisitenorms by it, and the current operating status.”*

sk

3. That vide its letter dated 13.06.2024 and 10.07.2024 the State Board has directed the Regional Officer, Moradabad to conduct the inspection regarding to the compliance of the closure order and status of land erosion. A copy of the letter dated 13.06.2024 and 10.07.2024 are collectively being contained as **Annexure R1/1** to this affidavit.
4. That in pursuance to the above said letters the Regional Officer, Moradabad vide letter dated 07.08.2024 has sent the compliance report alongwith respective annexure and inspection report, conducted on 25.07.2024. The copy of the inspection report dated 25.07.2024 is being contained as **Annexure R1/2** to this affidavit.

Further, it is pertinent to mention here that the brick kiln found established and operational without having valid consent from the State Board and in violation of the closure order dated 02.07.2021, which is evident from the perusal of the inspection report, contained as annexure R1/2. Furthermore, the Environmental Compensation amounting Rs. 27,18,750/- has also been imposed upon the said brick kiln which has been stayed by the Hon'ble Allahabad High Court, Lucknow Bench vide order dated 30.07.2024 passed in Writ Petition (C) No. 5054/2024, M/s NSR Brick Field versus State of UP and ors.

3. That the Status Report as directed by this Hon'ble Tribunal is annexed for the perusal of this Hon'ble Tribunal. The contents of the report and its annexures are correct and true copy to my knowledge and belief to be true on the basis of the records.




DEPONENT

VERIFICATION:

I the above named deponent do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

Verified at Lucknow on this ^{NOTARY} 12 day of September 2024




DEPONENT

Sworn and Verified
before me.


4/9/24

NOORJAHAN
Advocate, Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 1043/1984

I know & identify the deponent/Executed
who has signed put his TL before me


S. J. Iqbal Advocate
Reg. No. 6043/1984






उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या.....

12407/0-7/0.A.No-647/24

दिनांक 13-6-24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / एनजीटी प्रकरण

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-647/2024 Pankaj Sharma Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं०-647/2024 Pankaj Sharma Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् का अवलोकन करें :-

“.....6. Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. Respondent No. 2, Member Secretary, UPPCB will ascertain the correct factual status from the spot and submit a comprehensive report in respect of operation of Respondent No. 5 unit, compliance of requisite norms by it, and the current operating status, within a period of four weeks from today.

8. List on 18.09.2024.”

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 30.05.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टा गै० एनटीआर ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम गै० एनएसआर ब्रिक फील्ड) ग्राम-सीथल माफी, असमोली, जिला-संभल का तत्कल अद्यतन निरीक्षण करते हुए ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश के अनुपालन एवं भूमि कटान संबंधी तथ्यों को समावेशित करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें तथा राज्य बोर्ड की ओर से comprehensive report 02 सप्ताह में माननीय अधिकरण में दायर कराते हुए बोर्ड मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 18.09.2024 नियत है।

भवदीय

(राम गोपाल)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-7



sk



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 113766

107/OANO-647/2024

दिनांक: 10/7/24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

अनुस्मारक / मा० एन०जी०टी० प्रकरण

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-647/2024 Pankaj Sharma Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच12407/सी-7/ओ०ए० सं०-647/24 दिनांक 13.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन उक्त ओ०ए० सं०-647/2024 Pankaj Sharma Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत ईट भट्टा मै० एनटीआर ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै० एनएसआर ब्रिक फील्ड) ग्राम-सीथल माफी, असमोली, जिला-संभल का तत्काल अद्यतन निरीक्षण करते हुए ईट भट्टे को जारी बन्दी आदेश के अनुपालन एवं भूमि कटान संबंधी तथ्यों को समावेशित करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करने तथा राज्य बोर्ड की ओर से comprehensive report 02 सप्ताह में माननीय अधिकरण में दायर कराते हुए बोर्ड मुख्यालय को सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी सूचना वर्तमान तक प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से बोर्ड मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 18.09.2024 नियत है।

भवदीय

(दिवेक शाय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



mail sent
11/7/24

hk

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com


T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com


क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

मैसर्स एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड), ग्राम सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद संभल की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 25.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री लियाकत हुसैन, प्रोपराइटर (मो० नं० 9837506120) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. उक्त ईट भट्टा मैसर्स एन.एस.आर. ब्रिक फील्ड (वर्तमान नाम एन.टी.आर. ब्रिक फील्ड), ग्राम सीडल माफी, असमौली रोड, जनपद संभल में अंकाश 28.764389, देशान्तर 78.617704 पर स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टा वर्ष 2016-17 से स्थापित है।
2. उक्त ईट भट्टे द्वारा मिट्टी, बालू व पानी का प्रयोग कर लगभग 22000 ईट/दिन का उत्पादन किया जाता है।
3. उक्त ईट भट्टे में ईंधन के रूप में 3.5 टन/दिन लकड़ी व कोयले का प्रयोग किया जाता है।
4. उक्त ईट भट्टे द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
5. उक्त ईट भट्टे का स्थापना स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.06.2012 "उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" के अनुरूप न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एच 63051/सी-7/1683/बन्दी आदेश/मुरा०/2023 दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। जोकि वर्तमान में प्रभावी है।
6. उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 02.07.2021 के क्रम में नायब तहसीलदार, तहसील व जनपद संभल एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर दिनांक 28.06.2024 को उक्त ईट भट्टे का संचालन फर्द निष्पादन कराकर बन्द कराया गया।
7. उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एच 03841/सी-7/विविध-627/जीतू यादव/संभल/2023 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से रूपये 27,18,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त ईट भट्टे द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में Writ -C No. - 5054 of 2204 दाखिल की गयी थी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा Writ -C No.- 1525 of 2204 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
8. उक्त ईट भट्टे द्वारा भविष्य में ईट भट्टे का संचालन राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने उपरान्त ही संचालन किये जाने के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 28.06.2024 प्रस्तुत किया गया है।
9. अद्यतन निरीक्षण दिनांक 25.07.2024 के समय उक्त ईट भट्टा उत्पादनरत नहीं पाया गया।
आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(विनाय कुमार)
जे०आर०एफ०


(अनिल कुमार)
वैज्ञा० सहायक

सहा.पर्या.अभि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



sk